क्रम-संख्या—46

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 14 फरवरी, 2005

माघ 25, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

खाद्य एवं रसद अनुभाग—8

संख्या–सीपी 70/29-8-2005–सीपी 1/87 टी०सी०

लखनऊ, 14 फरवरी, 2005

अधिसूचना

प०आ०—57

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9-(1) (क) जिला फोरम के पूर्णकालिक प्रधान, जिला फोरम और राज्य आयोग के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नामित किसी सरकारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।	9-(1) जिला फोरम के पूर्णकालिक प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आयोग का प्रधान या तो स्वयं कर सकेगा या वह राज्य आयोग के किसी सदस्य या उसके निबन्धक को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
	(2) जिला फोरम के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आयोग के प्रधान द्वारा या राज्य आयोग के किसी सदस्य द्वारा या राज्य आयोग के निबन्धक द्वारा या राज्य आयोग के प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला फोरम के पूर्णकालिक प्रधान द्वारा की जायेगी।
	(3) राज्य आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश द्वारा संचालित की जायेगी।
(ख) ऐसे अंशकालिक अध्यक्ष, जो कार्यरत जिला जज या अपर जिला जज हैं, के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच उच्च न्यायालय द्वारा करायी जायेगी।	(4) ऐसे अंशकालिक प्रधान को, जो कार्यरत जिला जज या अपर जिला जज हैं, विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आयोग के प्रधान की संस्तुति पर उच्च न्यायालय द्वारा करायी जायेगी।
(ग) राज्य आयोग के प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य सरकार द्वारा नामित किसी भी उच्च न्यायालय के किसी सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।	(5) राज्य आयोग के प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के किसी आसीन या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।
9(2) उपरोक्त जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार जिला फोरम तथा राज्य आयोग के प्रधान या सदस्य को उक्त नियमावली के यथास्थिति, नियम 3 के उपनियम (5) और नियम 6 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट आधार पर उनके पद से हटा सकती हैं।	(6) उपनियम (1), (2), (3) या (4) के अधीन जांच के अधार पर, यदि अधिकारी को दोषी पाया जाता है तो राज्य आयोग के प्रधान की सिफारिश के पश्चात् या राज्य आयोग के प्रधान की दशा में, जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट और उसकी सिफारिश के सम्यक् परीक्षण और उस पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार, यथास्थिति, नियम 3 के उपनियम (5) या नियम 6 के उपनियम (5) के अधीन दोषी अधिकारी को हटाये जाने के लिए आदेश जारी कर सकती है।

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जांच के लिए प्रक्रिया	10—नियम 9 के अधीन जांच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, अर्थात् :–
	(1) शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् शिकायत की एक प्रति शिकायतकर्ता को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करायी जायेगी और शिकायतकर्ता को शपथ पत्र पर शिकायत प्रस्तुत करने अथवा शिकायत पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा। यदि शिकायतकर्ता द्वारा कोई शपथ पत्र या साक्ष्य, जैसा कि ऊपर वर्णित है, उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य आयोग का प्रधान शिकायत पर ध्यान न देकर उसे निक्षेप कर सकता है।
	(2) शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र या बयान एवं शिकायत के संबंध में साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत किये जाने के पश्चात, शिकायत-पत्र में आरोपित किये गये प्रधान या सदस्य को शिकायत-पत्र की एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी और अपचारी को उसका उत्तर/स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
	(3) अपचारी प्रधान या सदस्य द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देने पर राज्य आयोग का प्रधान जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने या उसे निक्षेप करने के संबंध में उपयुक्त विनिश्चय करेगा। यदि राज्य आयोग का प्रधान यथास्थिति, जिला फोरम के अपचारी प्रधान या सदस्य या राज्य आयोग के सदस्य के विरुद्ध जांच की कार्यवाही प्रारम्भ करने का विनिश्चय करता है तो राज्य आयोग के प्रधान द्वारा अपचारी सदस्य या प्रधान के निलम्बन की संस्वीकृति दी जा सकेगी। तत्पश्चात राज्य सरकार यथोचित कार्यवाही करेगी। यथास्थिति प्रधान या सदस्य के निलम्बन की कार्यवाही की जाने की दशा में उसे मानदेय/वेतन केवल पचास प्रतिशत देय होगा।
	(4) जांच किये जाने का विनिश्चय किये जाने की दशा में राज्य आयोग का प्रधान मामले की जांच या तो स्वयं कर सकता है अथवा राज्य आयोग के किसी सदस्य या उसके निबन्धक को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(5) यथास्थिति, प्रधान या जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का विनिश्चय किये जाने की दशा में, तद्नुसार आरोप विरचित किये जाएगें, जिन्हें राज्य आयोग के प्रधान द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।
	(6) आरोप पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों और साक्षियों की उनके बयान यदि कोई हो, सहित सूची की प्रतियों के साथ अपचारी प्रधान या सदस्य को, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध पते पर भेजा जाएगा अथवा व्यक्तिगत रूप से तामील कराया जाएगा। यदि उपर्युक्त रीति से आरोप-पत्र तामिल न कराया जा सकता हो तो आरोप पत्र को किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा। समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिए जाने पर तामील को पर्याप्त समझा जाएगा और ऐसे प्रकाशन के दो सप्ताह के पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
	(7) आरोप-पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर यथास्थिति, अपचारी प्रधान या सदस्य द्वारा लिखित उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी पूछा जाएगा कि क्या वह किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराना चाहता है और अपनी प्रतिरक्षा में क्या साक्ष्य देना चाहता है। उसको यह भी इंगित किया जाएगा कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारणा कर ली जाएगी कि उसके पास उपलब्ध कराये जाने के लिए कोई सामग्री नहीं है और तद्नुसार एकपक्षीय जांच करने की कार्यवाही की जाएगी।
	(8) जहाँ यथास्थिति, अपचारी प्रधान या सदस्य हाजिर हो जाता है और लगाये गये आरोप को स्वीकार कर लेता है, वहॉ राज्य आयोग का प्रधान या जांच अधिकारी लगाये गये आरोप के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
	(9) जहाँ यथास्थिति, अपचारी प्रधान या सदस्य अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों व दोषियों को इनकार करता है, वहॉ राज्य आयोग का प्रधान या जांच अधिकारी प्रस्थापित साक्षी के बयान को अपचारी प्रधान या सदस्य की उपस्थिति में अभिलिखित करने की कार्यवाही करेगा। साक्षियों को प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाएगा और कार्यवाहियों का पूर्ण अभिलेख रखा जाएगा।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(10) उन कार्यवाहियों में सही तथ्यों का पता लगाने अथवा आरोपों को सिद्ध करने के लिए अपचारी अधिकारी से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कहा या बुलाया जा सकता है।
	(11) जांच की सम्पूर्ण कार्यवाहियों के पूर्ण हो जाने पर, यदि जांच राज्य आयोग के अध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा की गयी है, तो जांच की रिपोर्ट राज्य आयोग के प्रधान के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जांच अधिकारी ऐसी कार्यवाही के बारे में जो की जा सकती है, कोई सिफारिश या टिप्पणी नहीं करेगा।
	(12) जांच की कार्यवाही के पूर्ण हो जाने पर आरोप सिद्ध होने या न होने के बारे में निर्णय राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। आरोप सिद्ध न हो सकने की दशा में राज्य आयोग का प्रधान अपचारी अधिकारी एवं राज्य सरकार को सूचित करेगा कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अपचारी अधिकारी को, यदि वह निलम्बित था, राज्य सरकार द्वारा बहाल कर दिया जाएगा और उसे निलम्बन अवधि के पूरे वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
	(13) राज्य आयोग के प्रधान द्वारा आरोप सिद्धि का निर्णय लिए जाने की दशा में, अपचारी अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह सूचना के 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
	(14) अभ्यावेदन और अन्य संबंधित दस्तावेजों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए राज्य आयोग का प्रधान अपने निर्णय को 30 दिनों के भीतर, यदि वे ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, 30 दिनों की एक और अवधि के लिए न बढ़ाये गये हों, संसूचित करेगा।
	(15) यदि राज्य आयोग का प्रधान यह निष्कर्ष निकालता है कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गये हैं, तो प्रधान दो सप्ताह के भीतर अपचारी अधिकारी को हटाने या पदच्युत करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करेगा। राज्य आयोग के प्रधान की सिफारिश की प्राप्ति के उपरान्त राज्य सरकार सिफारिश की प्राप्ति के एक माह के भीतर तद्नुसार समुचित आदेश जारी करेगी।

आज्ञा से,
प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. C.P. 70/XXIX-8—2005-C.P. 1/87 T.C., dated February 14, 2005:

No. C.P. 70/XXIX-8—2005-C.P. 1/87 T.C.
Dated February 14, 2005

In exercise of powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987.

THE UTTAR PRADESH CONSUMER PROTECTION (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2005

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Seventh Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of Rule 9

2. In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 for existing rule 9 set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be *substituted* namely :—

	COLUMN 1		COLUMN 2
	Existing Rule		*Rule as hereby substituted*
9(1)*(a)*	On complaint received against the full time President, Member of District Forum and the State Commission, an enquiry shall be held by Principal Secretary or Secretary as the case may be to Government of Uttar Pradesh Food and Civil Supplies Department or by an officer of Government nominated by him.	9(1)	The President of the State Commission may himself enquire the complaints received against the full time President of the District Forum or may nominate a member of the State Commission or the registrar thereof.
		(2)	Enquiries on complaints received against the Members of the District Forum shall be conducted by the President of the State Commission or by a Member of the State Commission or by the Registrar of the State Commission or by the full time President of the District Forum concerned as nominated by the President of the State Commission.
		(3)	Enquiries on complaints received against a Member of the State Commission shall be conducted by any sitting judge of High Court nominated by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of the State.

	COLUMN 1		COLUMN 2
	Existing Rule		*Rule as hereby substituted*
(b)	On Complaint received against such part time President who are working District Judge or Additional District Judge enquiry shall be held by the High Court.	(4)	Enquiries on complaints received against a part time President of the District Forum who is a sitting District Judge or an Additional District Judge shall be held by the High Court on the recommendation of the President of the State Commission.
(c)	The Complaint received against the President of the State Commission shall be enquired into by any retired Chief Justice of any High Court nominated by the State Government.	(5)	Enquiries on complaints received against the President of the State Commission shall be held by a sitting or retired Chief Justice of any High Court in consultation with the Chief Justice of the High Court of the State.
9(2)	On being found guilty on the basis of the findings of the aforesaid enquiry the State Government may remove President or Member of District Forum and the State Commission from their office on grounds specified in sub-rule (5) of the rule 3 and sub-rule (5) of the rule 6 as the case may be of said Rules.	(6)	On the basis of enquiries, under sub-rule (1), (2), (3) or (4), if the officer is found guilty, then after recommendation of the President of the State Commission, or in the case of President of State Commission, after due examination and consideration of the enquiry report and recommendations of enquiry officer, the State Government may issue orders for removing the guilty officer, under sub-rule (5) of rule 3 or sub-rule (5) of rule 6, as the case may be.
	Procedure for Enquiry	**10.**	**For enquiry under rule 9 the following procedure shall be followed, namely :—**
		(1)	After a complaint is received a copy of the complaint shall be sent to the complainant by registered post or personally and the complainant shall be directed to submit the complaint on an affidavit or provide evidence about the allegations contained in the complaint. If no affidavit or evidence is provided as stated above by the complainant, then the President of the State Commission may ignore the complaint and consign it to records.
		(2)	On submission of affidavit or statement to the effect that evidence, if any, shall be furnished by the complainant, then the President or Member against whom allegations have been in the complaint, shall be provided with a copy of the complaint and its reply/explanation shall have to be furnished by the delinquent within 15 days.

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
	(3) On submission of reply/ explanation by the delinquent President or Member within the time allowed, the President of the State Commission shall take appropriate decision as to whether the inquiry is to be proceeded with or is to be consigned to records. In case the President of the State Commission decides to initiate enquiry proceedings against delinquent President or the Member of the District Forum or the Member of the State Commission, as the case may be, the suspension of the delinquent Member or the President may be recommended by the President of State Commission. The State Government shall thereupon take appropriate action. In the event of suspension of President or Member being proceeded with, as the case may be, only 50% of the honorarium/salary shall be payable to him.
	(4) In the event of deciding to hold the enquiry, the President of the State Commission may enquire the matter himself or may nominate a member of the State Commission or the Registrar thereof.
	(5) In the event of the President or the enquiry officer, as the case may be, deciding to proceed against the delequent officer, charges shall be framed accordingly to be approved and singed by the President of the State Commission.
	(6) The charge sheet along with the copies of the documentary evidence and list of the witnesses as well as their statements, if any, shall be sent to the delinquent President or Member by registered post on the address available in the office record or be served personally. If the charge sheet cannot be served in the said method, then the charge sheet shall be published in a local newspaper. On the publication in the newspaper, service shall be deemed sufficient and further action shall be taken after two weeks of such publication.

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
	(7) Written reply, if any, from the delinquent, President or Member as the case may be, shall be submitted witin fifteen days from the receipt of charges. It will be enquired whether he desires to cross examine any witness and what evidence he contemplates to file in defence. It will also be indicated to him that in the event the required information is not submitted within the stipulated period, it will be presumed that he does not have any material to provide and accordingly the enquiry will proceed *ex-parte*.
	(8) Where the delinquent President or Member as the case may be appears and accepts the allegations made, the President of the State Commission or the Enquiry Officer will submit report on the basis of allegations made.
	(9) Where the delinquent President or Member as the case may be denies the allegations, and the charges framed against him, the President of the State Commission or the Enquiry Officer will proceed to record the statement of proposed witnesses in the presence of the delinquent President or Member. Opportuity will be provided to cross examine the witnesses and the full record of the Proceedings shall be maintained.
	(10) In those proceedings the delequent officer may be asked or may be called upon to produce any document in order to find out the true facts or to prove the allegations.
	(11) On completion of the entire enquiry proceedings, if the enquiry conducted by any officer other than the President of the State Commission, the report of enquiry shall be submitted before the President of the State Commission. The Enquiry Officer shall not make any recommendation/comments about the action which may be taken.

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
	(12) On completion of the enquiry proceedings, the decision whether the allegations have been proved or not proved, will be taken by the President of the State Commission. In the event of the allegations being not proved the President of the State Commission may inform the delinquent officer and the Government that the allegations have not been proved. The delinquent officer will be reinstated by the Government if he was under suspension and would be paid full salary/honorarium for the period of suspension.
	(13) In the event of the President of the State Commission, deciding that the allegations have been proved, the delinquent officer shall be at liberty to submit a representation within 15 days of the information.
	(14) The President of the State Commission shall communicate his decision within 30 days if not extended for another period of 30 days for reasons to be recorded in writing. Keeping in view the representation and other related documents, if any.
	(15) If the President of the State Commission finds that the allegations against the delequent officer have been proved, the President shall recommend within two weeks to State Government to remove or dismiss the delequent officer. The State Government, shall, after receiving the recommendation of the President of the State Commission, issue apropriate order accordingly within one month of the receipt thereof.

By Order,

PRABHAT CHANDRA CHATURVEDI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 903 राजपत्र (हि०)—2005—(2180)—597—(क०/अ०)।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 2 सा० खाद्य एवं रसद—2005—(2181)—1200—(क०/अ०)।